

अनुदान संख्या 17 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 17 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:					
स्वीकृत—	Voted-					
मूल	Original	712,52,00		712,53,00	583,08,68	-129,44,32
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					126,61,46

पूंजीगत:	Capital:					
स्वीकृत—	Voted-			40,50,00	5,60,29	-34,89,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					34,86,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"					
सचिवालय— आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	30174.00		21358.55	21288.44	-70.11
पु.	R.	-8815.45				

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3475”	Major Head “3475”			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services			
मू.	O.	41078.00		
पू.	S.	1.00	37232.99	37020.24
पु.	R.	-3846.01		-212.75

(I) दो शीर्षों के तहत ₹3.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय” के अंतर्गत – ₹8884.56 लाख की बचत (₹28173.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदात्मक दायित्वों के कारण निर्धारित कार्यकलापों के स्थगन, कार्यालय भवन के नवीकरण का कार्य स्थगित होने के कारण कम निधियों की आवश्यकता होने, कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्य सौंपे जाने के लिए निधियों का उपयोग नहीं होने और कम संख्या में पेशेवरों को काम पर रखने के कारण हुई थी।

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of Corporate Affairs” - saving of ₹8884.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28173.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards postponement of scheduled activities owing to contractual obligations, postponement of renovation activities of the office building, non-utilization of funds for Corporate Social Responsibility awards and hiring of less professionals.

(III) मुख्य शीर्ष “3475” – “संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head “3475” - “Regulation of Joint Stock Companies” - savings occurred under the following heads: -

(का) “भारतीय शोधन अक्षमता और दिवाला बोर्ड (आई बी बी आई)” – ₹2924.47 लाख की बचत (₹5802.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता परियोजनाओं का-कार्यान्वयन नहीं करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी करने के कारण हुई।

(A) “Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)” - saving of ₹2924.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5802.00 lakhs) was due to non-implementation of Insolvency and Bankruptcy Code Projects and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) “भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा (आई सी एल एस) अकादमी” – ₹702.54 लाख की बचत (₹1154.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और कोविड महामारी के कारण आई सी एल एस प्रशिक्षुओं के

(B) “Indian Corporate Law Service (ICLS) Academy” - saving of ₹702.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1154.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-conducting of

विदेशी प्रशिक्षण का संचालन नहीं होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष में ₹431.15 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत है।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹559.91 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2022 में मुख्य शीर्ष “3475” – “संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन – राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एन आई एफ आर ए)” के तहत सांकेतिक पूरक अनुदान ₹1.00 लाख प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था। तथापि, अधिक व्यय ₹557.65 लाख हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “5475”	Major Head “5475”	
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services	
मू.	O.	4050.00
पु.	R.	-3486.00

(I) “अन्य व्यय – भूमि/भवन की खरीद/कार्यालय परिसर का निर्माण/कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास” के तहत – ₹3481.42 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने ठेकेदारों के साथ कानूनी विवाद के कारण धन का उपयोग नहीं होने के कारण हुई।

foreign training of ICLS trainees owing to COVID pandemic.

(IV) Under one head saving of ₹431.15 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹559.91 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant ₹1.00 lakh in December, 2022 under Major Head “3475” - Regulation of Joint Stock Companies - National Financial Reporting Authority (NFRA)”. Actual excess, however, was ₹557.65 lakhs.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
564.00	560.29	-3.71

(I) Under “Other Expenditure - Purchase of land/buildings/construction of office premises/residential accommodation for staff” - saving of ₹3481.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-utilization of funds by Central Public Works Department owing to legal dispute with its contractors.

4. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को दावा नहीं किए गए लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर, रिफंड के लिए देय आवेदन राशि और उस पर ब्याज की वापसी, निवेशक शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने, पात्र और अभिचिन्हित आवेदकों में शेयरों या डिबेंचरों के लिए शेयर धारकों, डिबेंचर-धारकों या जमाकर्ताओं, जिन्हें किसी भी व्यक्ति के गलत कार्यों के कारण नुकसान हुआ है, को उच्छृंखलकरण आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार किसी उच्छृंखल राशि के वितरण के संबंध में उनके बीच वापस करने के लिए खोला गया था।

2022-23 के लिए निधि का लेखा इस प्रकार था :-

अथशेष
प्राप्तियां
भुगतान
अंत शेष

4. *Investor's Education and Protection Fund*

The Investor's Education and Protection Fund was opened to refund in respect of unclaimed dividends, matured deposits, matured debentures, the application money due for refund and interest thereon, for promotion of investor's education, awareness and protection, distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture-holders or depositors who have suffered losses due to wrong actions by any persons, in accordance with the orders made by the Court which had ordered disgorgement.

The Account of the Fund for 2022-23 was as follows: -

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
Opening Balance :		86,57,22
Receipts :		20,00,00
Payments :		20,00,00
Closing Balance :		86,57,22